तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **नजरसानी–निगरानी / टीए / 2604 / 2005 / सिरोही** **भूरालाल बनाम शान्तिलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः–
श्री रमजान मोहम्मद, अभिभाषक प्रार्थी।
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांक 31–1–2025

यह नजरसानी निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 229 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–12–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी / वादी द्वारा प्रार्थी / प्रतिवादी के विरूद्ध विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, सिरोही के समक्ष एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 के तहत् ग्राम गोल वाया जावाल तहसील व जिला सिरोही स्थित विवादित आराजीयात बाबत् प्रस्तुत कर प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तत्पश्चात् अपने निर्णय दिनांक 28–8–1984 द्वारा अप्रार्थी / वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार कर प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का आदेश प्रदान किया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी / वादी शांतिलाल द्वारा प्रार्थी / प्रतिवादी के विरूद्ध एक अन्य वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत् प्रस्तुत किया गया। दौराने वाद प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर दावे में नई तनकी बनाये जाने का निवेदन किया गया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 8–9–1999 द्वारा खारिज कर दिया गया। विचारण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **नजरसानी–निगरानी / टीए / 2604 / 2005 / सिरोही** **भूरालाल बनाम शान्तिलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–9–1999 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय की एकलपीठ द्वारा अपने आदेश दिनांक 14–12–2004 द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज कर विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, सिरोही द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–9–1999 को यथावत रखा गया। माननीय न्यायालय की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–12–2004 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह नजरसानी प्रस्तुत की गई है। 3– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस नजरसानी पर सुनी। 4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने तर्क दिया कि माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उन्होंने मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए नजरसानी प्रार्थना–पत्र में हुई देरी को माफ किया जाकर इसे अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किय। उनका कथन है कि माननीय एकलपीठ ने स्वयं यह माना है कि दिनांक 28–8–1984 के निर्णय में पक्षकारों के मध्य वसीयत के बाबत् कोई तनकी कायम नहीं की गई थी। फिर भी माननीय न्यायालय की एकलपीठ ने अतिरिक्त तनकी की कोई आवश्यकता नहीं समझते हुए निगरानी खारिज करने में त्रुटि कारित की है। माननीय न्यायालय ने विवादित आदेश में यह अंकित किया कि पटवारी हल्का ने भी शांतिलाल का कब्जा बताया है। जबकि निगरानी में कब्जे का कोई औचित्य ही नहीं है। केवल मात्र वसीयत के आधार पर तनकी कायम किया जाना है। उनका यह भी कथन है कि निर्णय दिनांक 18–3–2002 में अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा तनकी बनाने में सहमति प्रदान की है। फिर भी माननीय न्यायालय की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **नजरसानी–निगरानी / टीए / 2604 / 2005 / सिरोही** **भूरालाल बनाम शान्तिलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ द्वारा आलौच्य निर्णय पारित कर त्रुटि कारित की है। अतः नजरसानी स्वीकार की जाकर माननीय न्यायालय की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–12–2004 निरस्त किया जाकर सहायक कलेक्टर, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8–9–1999 निरस्त किया जावे। 5– अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि माननीय न्यायालय की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका कथन है कि अप्रार्थी शांतिलाल विवादित आराजी के 1/6 भाग का रिकार्डेड खातेदार है। वसीयत का मुद्दा पूर्व में ही तय हो चुका है। निर्णय दिनांक 28–8–1984 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। माननीय न्यायालय की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है, जिसमें नजसानी के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। अतः नजरसानी खारिज की जावे। 6– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। 7– सर्वप्रथम हमने नजरसानी के पेश करने में हुई देरी को माफ करने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं उसके साथ संलग्न शपथ–पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा अप्रार्थीगण की ओर से जवाब में कोई शपथ–पत्र पेश नहीं किये जाने के कारण नरमी का रूख अपनाते हुए इस नजरसानी प्रार्थना–पत्र के पेश किये जाने में हुई देरी को माफ किया जाकर इसे अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा नजरसानियों के माध्यम से कोई नया तथ्य नहीं उठाया है। प्रार्थी के द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया है कि माननीय एकलपीठ के द्वारा दिए गए निर्णय में अभिलेख के मुख पर दिखाई देने वाली स्पष्ट त्रुटि की हो। प्रार्थी द्वारा निगरानी में उठाये गए तथ्यों	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **नजरसानी–निगरानी / टीए / 2604 / 2005 / सिरोही** **भूरालाल बनाम शान्तिलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को ही नजरसानी में दोहराया गया है। नजरसानी केवल तभी की जानी चाहिए, जब अभिलेख के मुख पर स्पष्ट त्रुटि हो। नजरसानी की कार्यवाही में न तो कोई नया कथन उठाया जा सकता है न ही उसके बारे में कोई साक्ष्य लिए जा सकते। किसी निष्कर्ष को गलत बताने के लिए सारे साक्ष्यों का मूल्यांकन अपेक्षित हो, वह ऐसी भूल नहीं मानी जा सकती है। आर.बी.जे. 2018 पृष्ठ 335 लालाराम बनाम बाबूलाल व अन्य में यह अभिनिर्धारित किया है कि नजरसानी में गलत निर्णय को सही नहीं किया जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 1995 पृष्ठ 455 के अनुसार नजरसानी का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है और केवल ऐसी त्रुटि को ही नजरसानी के माध्यम से दुरूस्त किया जा सकता है, जो न्यायालय द्वारा भूलवश कारित कर दी गई हो। अगर पक्षकार द्वारा कोई सुसंगत तथ्य प्रस्तुत नहीं करने से अथवा न्यायालय द्वारा विधि की गलत व्याख्या करने से अथवा न्यायालय द्वारा तथ्यों की गलत विवेचना करने से कोई गलत निर्णय पारित कर दिया गया है तो नजरसानी द्वारा ऐसे गलत निर्णय को सही नहीं किया जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2005(1) पृष्ठ–545 ''सुरेन्द्र कुमार वकील एवं अन्य बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मध्य प्रदेश एवं अन्य'' में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि : "A point that has been heard and decided cannot form a ground for review even if assuming that the view taken in the judgment under review is erroneous." अन्य न्यायिक दृष्टान्त डब्ल्यू.एल.सी. उच्चतम न्यायालय 2003(1) पृष्ठ–499 ''हरियाणा राज्य व अन्य बनाम मोहिन्दर सिंह व अन्य'' में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि :–	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **नजरसानी–निगरानी / टीए / 2604 / 2005 / सिरोही** **भूरालाल बनाम शान्तिलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	"Hearing of review does not mean giving one more chance for rehearing matter already disposed of." माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 1997(8) एस.सी.सी. पृष्ठ–715 ''परसियन देवी व अन्य बनाम सुमित्री देवी व अन्य'' में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :– Review- Scope of jurisdiction - 'Mistake or error apparent on the face of the record' - Is one which is self-evident and does not require a process of reasoning - Distinct from "erroneous decision" - So rehearing the matter for detecting an error in the earlier decision and then correcting the same do not fall within the ambit of review jurisdiction - Review jurisdiction cannot be used as appellate jurisdiction." माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त ए. आई.आर. 1995 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ–455 ''श्रीमती मीरा भान्जा बनाम श्रीमती निर्मला कुमारी चौधरी'' में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि :– 'Error apparent on face of record' - Means an error which strikes one on mere looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points where there may conceivably be two opinions." 8– उक्त न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में यह नजरसानी प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)** **सदस्य**	